कभवन–13 अभियंता प्र0(नि0)–02 विविध–16/2016 9727 (अ०)
3.10.16

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद चौधरी
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
पटना भवन अंचल पटना।

विषयः– मेसर्स पिण्टू कन्सट्रक्सन संवेदकक श्री देवेन्द्र प्रसाद सिंह, ग्राम–रहमतगंज पो0+थाना0–मसौढ़ी, जिला–पटना को निविदा में भाग लेने से वंचित (Debar) किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रसंगः– आपका पत्रांक–2315 अनु0 दिनांक–08.08.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के विभागों, लोक उपक्रमों एवं Autonomous Body द्वारा Defaulter घोषित कर, निविदाओं में भाग लेने से वंचित किये गये संवेदकों के निविदा पर विचार करने के क्रम में Cut off Date निर्धारित करने एवं निविदा प्रक्रिया के दौरान आपराधिक मामला संज्ञान में आने पर निविदा पर विचार नहीं करने के संबध में सचिव पथ निर्माण विभाग बिहार पटना द्वारा आवश्यक दिशा निर्दिष्ट किया गया है जोकि अनुकरणीय है।

अतः पथ निर्माण विभाग के पत्रांक–533(S) दिनांक–23.01.2013 की छाया प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि उसमें निहित निदेशों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह० 3.9.16
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव।

ज्ञापांकः– 9727 (अ०) पटना,दिनांक 3.10.16

प्रतिलिपि सभी मुख्य अभियंताओं/अधीक्षण अभियंताओं को अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित। पथ निर्माण विभाग के संलग्न पत्रांक–533(S) दिनांक–23.01.2013 की छाया प्रति में वर्णित विंदुओं से निर्गत निदेश का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
अनु0 यथोक्त ।

ह० 3.9.16
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव।

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

पत्रांक-प्र०6/द०बि०-नियम-03-02/2004-533(S) पटना, दिनांक-23.01.2013

प्रेषक,

प्रत्यय अमृत,

सचिव

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग।

सभी अधीक्षक अभियंता, पथ निर्माण विभाग।

सभी कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग।

(राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग सहित)

विषय: **राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के विभागों, लोक उपक्रमों एवं Autonomous Body द्वारा Defaulter घोषित कर निविदाओं में भाग लेने से वंचित किये गये संवेदकों के निविदा पर विचार करने के क्रम में Cut off Date निर्धारित करने एवं निविदा प्रक्रिया के दौरान आपराधिक मामला संज्ञान में आने पर निविदा पर विचार नहीं करने के संबंध में।**

महाशय,

SBD के सामान्य निर्देश की कंडिका-3.3 एवं 4.8 के आलोक मं संवेदकों को Defaulter घोषित होने पर निविदाओं में भाग लेने से वंचित किये जाने का प्रावधान है। इस संदर्भ में किसी भी State Government or Central Government or Public Undertaking or Any Autonomous Body द्वारा Defaulter घोषित कर संवेदकों को निविदा में भाग लेने से वंचित किया जाता है।

इस प्रकार के दृष्टांत प्राप्त हो रहे हैं कि संवेदक निविदा प्राप्ति की तिथि को Defaulter होने के कारण निविदा में भाग लेने से वंचित नहीं थे परन्तु निविदा प्रक्रिया के दौरान Any State Government or Central Government or Public Undertaking or Any Autonomous Body द्वारा Defaulter होने के कारण निविदा में भाग लेने से वंचित किये जाते हैं या कालीकृत किये जाते है अथवा आपराधिक मामला दर्ज होता है, तो निविदा निष्पादन किस प्रकार किया जाय।

राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि-

(i) किसी भी राज्य या केन्द्र सरकार या उपक्रमों अथवा Any Autonomous Body द्वारा यदि किसी संवेदक को Defaulter घोषित कर निविदाओं में भाग लेने से वंचित किया जाता है तो निविदा में भाग लेने के लिए Cut-off Date निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि होगी।

(ii) निविदि प्राप्ति के उपरांत एवं निविदा निष्पादन की प्रक्रिया के दौरान यदि संवेदक का ऐसा कृत्य संज्ञान में आता है जिसके कारण बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 की कंडिका-11 (क) के तहत उनपर आपराधिक मामला बन जाता है अथवा उनका निबंधन कालीकृत/निलंबित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में भी उनकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है।

विश्वासभाजन,

ह०/-

प्रत्यय अमृत

सरकार के सचिव।